न्यायालयः– सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी रायपुर (पाली)
पीठासीन अधिकारी :–श्री राजेश मेवाड़ा आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 129 / 2019
प्रकरण दर्ज तिथि :– 31.12.2019
जीसीएमएस नम्बर :– 2019 / 00160

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1. श्रवणसिंह पुत्र चौथाराम 2. केलमीदेवी पत्नि श्रवणलाल पुत्री भीकाराम जातिगण बावरी निवासीगण पिपलियाकलां		1. तहसीलदार रायपुर

दावा बाबत् घोषणा वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित 1 श्री भवानी सिंह सोलंकी अधिवक्ता वादीगण

निर्णय

दिनांकः 28.07.2022

वादीगण की ओर से वकील श्री भवानीसिंह सोलंकी द्वारा दावा बाबत् घोषणा वादपत्र धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत विरूद्ध प्रतिवादीगण न्यायालय में पेश किया गया है। वाद पत्र का संक्षिप्त विवरण यह है कि वादीगण संख्या 1 की खातेदारी कब्जा काश्त की कृषि भूमि सरहद मौजा पिपलिया कलां, पटवार हल्का पिपलिया कलां भू. अभिलेख निरिक्षक पिपलिया कलां तहसील रायपुर जिला पाली (राज) में खसरा संख्या 578 रकबा 01–12 बीघा बारानी दोयम, ख. न. 579 रकबा 03–00 बीघा किस्म बारानी दोयम, ख. न. 602 रकबा 04–00 बीघा किस्म बारानी दोयम आई हुई है, जिसमें वादीगण संख्या 1 का नाम दर्ज जमाबंदी है, जिसकी जमाबंदी संवत् प्रतिलिपि वाद पत्र के साथ सलग्न है। जिसको वाद पत्र का आवश्यक भाग माना जावे । उक्त आराजी पर वादीगण संख्या 1 एवं अन्य सहखातेदार अपने अपने हिस्से पर कब्जा काश्त हैं। वादीगण संख्या 2 की खातेदारी कब्जा काश्त की कृशि भूमि सरहद मौजा झूंठा, पटवार हल्का झूंठा भू. अभिलेख निरिक्षक पिपलिया कलां तहसील रायपुर जिला पाली (राज) में खसरा संख्या 1350 रकबा 12–17 बीघा बारानी दोयम, ख. न. 1351 रकबा 05–12 बीघा किस्म बारानी अव्वल, ख. न. 1352 रकबा 03–11 बीघा किस्म बारानी अव्वल व ख. न. 1394 रकबा 05–18 बीघा किस्म बारानी अव्वल आई हुई है, जिसमें वादीगण संख्या 2 का नाम दर्ज जमाबंदी है, जिसकी जमाबंदी की प्रतिलिपि वाद पत्र के साथ सलग्न है। जिसको वाद पत्र का आवश्यक भाग माना जावे । उक्त आराजी पर वादीगण संख्या 2 एवं अन्य सहखातेदार अपने अपने हिस्से पर कब्जा काश्त हैं। उपरोंक्त वर्णीत आराजीयात वादीगण की पुश्तैनी आराजीयात है, जिसमें वादीगण संख्या 1 का नाम श्रवणराम पुत्र चौथाराम दर्ज जमाबंदी है। जबकि वादीगण संख्या 1 का सही नाम श्रवणलाल है, वादीगण संख्या 1 को जाति, समाज, परिवार, ग्राम में श्रवणलाल व श्रवणराम के नाम से जाना व पहचाना जाता है, इसी कारणवश वादीगण संख्या 1 के पिता का फौतेदगी नामान्तरकरण दर्ज करते समय वादीगण संख्या 1 का नाम राजस्व रेकर्ड में श्रवणराम दर्ज कर दिया गया, इसी प्रकार वादीगण संख्या 2 का नाम राजस्व रेकर्ड में केलकी पुत्री भीका दर्ज जमाबंदी है, जबकि वादीगण संख्या 2 का सही नाम केलमीदेवी है, तथा वादीगण संख्या 2 को जाति, समाज, घर, परिवार में केलकी व केलमी दोनो ही नामों से पुकारा जाता है, इसी कारणवश वादीगण संख्या 2 के पिता के फौतेदगी नामान्तरकरण में वादीगण संख्या 2 का

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर (पाली)

उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (पाली)

नाम केलकी दर्ज कर दिया गया, जबकि वादीगण के समस्त राजकीय व गैर राजकीय दस्तावेजो मे वादीगण का नाम श्रवणलाल पुत्र चौथाराम व केलमी देवी ही दर्ज चला आ रहा है। तथा वादीगण श्रवणलाल व केलमीदेवी का निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पहचान पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैक पास बुक, भामाशाह कार्ड की फोटो प्रति वाद पत्र के साथ पेश है। वादीगण खाने कमाने के लिए अक्सर बाहर निवास करते है, तथा वादीगण के परिवार वालो ने ही वादीगण के पिता के फौत होने पर वादीगण के नाम नामान्तरकरण दर्ज करवाया था, इस कारण वादीगण को उक्त तथ्य की जानकारी आज दिन तक नही हो पाई। वादीगण का नाम उपरोंक्त वर्णीत आराजीयात मे सही नही होने व राजकीय दस्तावेजों के अनुरूप दर्ज नहीं होने के कारण वादीगण को अपने हिस्से की कृषि भुमि के उपयोग व उपभोग में भारी समस्याओं का सामना करना पड रहा है। तथा सरकार द्वारा समय समय पर दिये जाने वाले कृशि अनुदान व अन्य सहायता से भी वादीगण वंचित रह जाते है, तथा बैंको सें मिलने वाले ऋण से भी वादीगण को वंचित रहना पड रहा है। बिनायदावा दिनॉक 04/11/2019 को वादीगण द्वारा अपने हल्का पटवारी महोदय से केन्द्र सरकार की प्रोत्साहन योजना में पंजीकरण करवाने के लिए राजस्व रेकर्ड की नकल लेने पर इस तथ्य की जानकारी हुई कि वादीगण का नाम राजस्व रेकर्ड मे गलत इन्द्राज हो रखा है तब वादीगण की जानकारी में आया कि वादीगण का नाम शुरू से ही गलत दर्ज करवा दिया गया, तब वादीगण अपना नाम सही दर्ज करवाने अपने अपने हल्का पटवारी के पास गये तो उन्होने जरिये न्यायालय आदेष के ही अपना नाम राजस्व रेकर्ड मे सही दर्ज करवाने के अधिकारी है, अतः भुमि श्रीमान के क्षैत्राधिकार में होने व वाद श्रीमान के श्रृवणाधिकार का होने से श्रीमान के न्यायालय मे घोषणा का वाद पेश किया है। उक्त वाद मे अन्य सहखातेदारो के विरूद्व कोई अनुतोष नही होने के कारण उन्हे वाद पत्र मे पक्षकार नही बनाया गया है। उक्त प्रकरण प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्ध भी प्रस्तुत किया गया है जिनके विरूद्ध वाद प्रस्तुत करने से पूर्व उन्हें धारा 80 जा.दी. के तहत दो माह की अवधि का विधिक सूचना पत्र दिया जाना आवष्यक है किंतु मौजूदा वाद एक आवष्यक प्रकृति का वाद है जिसमें यदि दो माह का नोटिस दिया जाकर इंतजार किये ज़ाने से मौजूदा वाद का मकसद ही विफल हो जायेगा अतः नोटिस से छूट प्रदान किये जाने हेतु अलग से धारा 80(2) जा.दी. का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर वाद प्रस्तुत करने की अनुमति प्राप्त की जा रही है। ग्राम पिपलिया कलां खसरा संख्या 578, 579 व 602 के राजस्व रेकर्ड मे वादीगण संख्या 1 का नाम श्रवणराम पुत्र चौथाराम के स्थान पर श्रवणलाल पुत्र चौथाराम व ग्राम झूंठा खसरा संख्या 1350, 1351, 1352 व 1394 के राजस्व रेकर्ड मे वादीगण संख्या 2 का नाम केलकी पुत्री भीका के स्थान पर केलमीदेवी पुत्री भीकाराम दर्ज किये जाने की घोषणा/आदेश तहसीलदार साहब रायपुर को फरमावें ।

वादीगण का वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर जरिये सम्मन प्रतिवादीगण की तलबी की गई। वादी अधिवपक्ता ने निवेदन किया कि उक्त वर्णित आराजी में वादी संख्या 01 का नाम श्रवणराम हैं लेकिन सभी सरकारी दस्तावेजों में इनका नाम श्रवणलाल हैं। अतः श्रवणलाल नाम, जमाबंदी में दर्ज करने हेतु निवेदन किया हैं। उक्त वर्णित आराजी में वादी संख्या 02 का नाम केलकी पुत्री भीका हैं लेकिन सभी सरकांरी दस्तावेजों में इनका नाम केलमीदेवी पुत्री भीकाराम हैं। अतः केलमीदेवी पुत्री भीकाराम, जमाबंदी में दर्ज करने हेतु निवेदन किया हैं।

उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (पाली)

वकुलाय से पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज पर बहस सुनी गई। बहस के दौरान दिये गये तर्को एंव पत्रावली पर पेश दस्तावेजो का गहनता पूर्वक अवलोकन एंव मनन करने पर सरहद मौजा पिपलिया कलां पटवार हल्का के खसरा संख्या 578, 579 व 602 के राजस्व रेकर्ड मे वादीगण संख्या 1 का नाम श्रवणराम पुत्र चौथाराम के स्थान पर श्रवणलाल पुत्र चौथाराम व सरहद मौजा झूंठा पटवार हल्का झूठा के खसरा संख्या 1350, 1351, 1352 व 1394 के राजस्व रेकर्ड मे वादीगण संख्या 2 का नाम केलकी पुत्री भीका के स्थान पर केलमीदेवी पुत्री भीकाराम दर्ज किये जाने के आदेश दिया जाना न्यायोचित समझते है।

आदेश

अतः वादीगण का वाद बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाकर सरहद मौजा पिपलिया कलां पटवार हल्का के खसरा संख्या 578, 579 व 602 के राजस्व रेकर्ड मे वादीगण संख्या 1 का नाम श्रवणराम पुत्र चौथाराम के स्थान पर श्रवणलाल पुत्र चौथाराम व सरहद मौजा झूठा पटवार हल्का झूठा के खसरा संख्या 1350, 1351, 1352 व 1394 के राजस्व रेकर्ड मे वादीगण संख्या 2 का नाम केलकी पुत्री भीका के स्थान पर केलमीदेवी पुत्री भीकाराम नाम दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाकर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तदानुसार डिक्री पर्चा बनाया जाकर पालना हेतु तहसीलदार रायपुर को प्रेषित किया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।

(राजेश मेवाड़ा)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, रायपुर (पाली)

यह निर्णय आज दिनांक 28.07.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, रायपुर (पाली)